| |
|---|
| दिनांक 16.09.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 480/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.09.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहादुरपुर चंदौली के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मंजूर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मंजूर निवासी उरमौरा थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

## जनपद चन्दौली/थाना साइबर क्राइम

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 15.09.2026 की रात्रि साइबर सेल व सर्विलास की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र चिनहट, लखनऊ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—आशीष निवासी ग्राम गदनपुर वक्त थाना शमशाबाद जनपद फर्रूखाबाद, वर्तमान पता—शंकरपुर कालोनी शिवाजी नगर थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ ।

**बरामदगी**

1—01 मोबाइल फोन।

**जनपद सम्भल/थाना बहजोई**

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.09.2026 को थाना बहजोई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मऊकठेर से ग्राम मच्छखेडा रोड मन्दिर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बनवारी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बहजोई पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—बनवारी निवासी मऊकठेर थाना बहजोई जनपद सम्भल।

**जनपद चन्दौली/थाना मुगलसराय**

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, 02 लैपटाप, 01 एलईडी**
- **चोरी के पैसो से खरीदी गयी 01 वेन्यू कार, 01 आटो रिक्शा आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2026 को थाना मुगलसराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इण्डियन इंस्टीट्यूट नाच घर के पास से 08 अभियुक्तों

1–प्रशान्त उर्फ बाबू सेठ 2–विशाल 3–रहमान उर्फ आंखी 4–राजेश 5–अनिल 6–दीपक उर्फ रवीन्द्र कुमार 7–तुषार 8–लकी को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद, चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 लैपटाप, 01 एलईडी, चोरी के पैसो से खरीदी गयी 01 वेन्यू कार, 01 आटो रिक्शा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रशान्त उर्फ बाबू सेठ, राजेश व दीपक उर्फ रवीन्द्र कुमार के विरूद्ध जनपद चन्दौली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09–09 अभियोग, अभियुक्त विशाल व लकी के विरूद्ध जनपद चन्दौली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 12–12 अभियोग, अभियुक्त रहमान उर्फ आंखी के विरूद्ध जनपद चन्दौली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्त अनिल व तुषार के विरूद्ध जनपद चन्दौली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 10–10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–प्रशान्त उर्फ बाबू सेठ निवासी वी मार्ट के पीछे सर्कस रोड, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

2–विशाल निवासी हनुमानपुर शाहकुटी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

3–रहमान उर्फ आंखी निवासी काशीराम आवास चतुर्भुजपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

4–राजेश निवासी जायसवाल स्कूल के पास थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

5–अनिल निवासी सहजौर रोड, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

6–दीपक उर्फ रवीन्द्र कुमार निवासी ग्राम महेवा, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

7–तुषार निवासी कसाब महाल, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, अस्थायीपता मस्त लाज गली, वेस्टर्न बाजार, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

8—लकी निवासी गल्ला मण्डी सुपर मार्केट, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

**बरामदगी**

1—चोरी के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, 02 लैपटाप, 01 एलईडी।

3—चोरी के पैसो से खरीदी गयी 01 वेन्यू कार, 01 आटो रिक्शा आदि।

## जनपद एटा/थाना जलेसर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 15.09.2026 को थाना जलेसर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—मो0मजीद 2—मो0रफीक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.08.2026 को थाना जलेसर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जलेसर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जलेसर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—मो0मजीद निवासी मकदूमनगर थाना ऊपर कोट थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़।

2—मो0रफीक निवासी गौमत थाना खैर जनपद अलीगढ़।

**बरामदगी**

1—चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

## जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 52 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 03 किलो 90 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 16.09.2026 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–58, पचौण्डा बाइपास के पास चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त शिवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 52 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 03 किलो 90 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–शिवा निवासी बिजली बाईपास थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

**बरामदगी**

1–लगभग 52 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 03 किलो 90 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

- **जनपद आजमगढ़/थाना मेहनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेन्द्र 2–टोनू व 03 अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना कप्तानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 351(3)

बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बलजीत को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना खेकडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना खेकडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रिंकू उर्फ हरेन्द्र को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/115(2)/117(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेन्द्र को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बंटी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————